(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर8

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 779—दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 13-07-11, पारित नायब तहसीलदार प्रभारी महेबा मण्डल, तहसील व जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 13/अ-6/2010—11.

1— अयुध्या तनय बिन्दा काछी
2- तुलसी तनय बिन्दा काछी
3— मूलचन्द्र तनय बिन्दा काछी
4— ठाकुरदास तनय चन्ना काछी
5- गुन्दा तनय चन्ना काछी
6— रामप्रसाद तनय स्व. घनश्याम काछी
7— नवल किशोर तनय चन्ना काछी
8- भुमानदीन तनय स्व. घनश्याम काछी
9- बिहारीलाल तनय स्व. घनश्याम काछी
10—वंशिया तनय हरजुवा काछी
11—रामदास पुत्र बटूवा काछी
12- बृजलाल पुत्र बटूवा काछी
13—शिवचरन पुत्र बटूवा काछी
14—बुद्धप्रकाश तनय जगुवा काछी
समस्त निवासी ग्राम धामची मजरा कटरा
तह0 व जिला छतरपुर,म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूध्द

1— परमा तनय गनेश काछी
2— नंदकिशोर तनय गनेश काछी
समस्त निवासी ग्राम धामची मजरा कटरा
तह0 व जिला छतरपुर,म0प्र0

—— अनावेदकगण

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक - आवेदकगण
श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक— अनावेदक क0—1
श्रीमती रजनी वशिष्ट, अभिभाषक— अनावेदक क0—2

25/11/14

आदेश

(आज दिनांक 23.6.2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार प्रभारी महेबा मण्डल, तहसील व जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 13/अ–6/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 13–07–11 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण परमा तथा नन्दकिशोर व्दारा संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया कि ग्राम धामची स्थित प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 12 कुल रकबा 63.60 एकड़ आवेदनकर्त्ता के दादा छिमाधर के नाम भूमिस्वामी स्वत्व में संवत 2025 तक दर्ज थी। बिना किसी आदेश के संवत 2026 में मेरे पिता के नाम वारिसान नामान्तरण हुआ तथा उस समय विन्दा, घनश्याम, चन्ना 1/3 व कटूवा, वंसिया 1/3 के रूप में दर्ज हो गया। यह फर्जी प्रविष्टि है जिसे निरस्त किया जाय। आवेदकगण ने आपत्ति प्रस्तुत की कि एस एल आर व्दारा दाखिल खारिज आदेश दिनांक 15–5–61 व्दारा किया गया है तथा आवेदकगण एवं अनावेदकगण के बीच नामान्तरण पजो क0–5 ग्राम धामच पर आपसी सहमति के आधार पर बटवारा सन 1990–91 में किया गया है जिसमें सभी पक्षों के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी दिनांक 4–10–1991 को किये गये हैं। इस कारण प्रकरण संहिता की धारा 115/116 के अन्तर्गत प्रचलन योग्य नहीं है। नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 13–07–11 व्दारा प्रविष्टि की शुध्दता जॉचने में समय–सीमा की बाध्यता नहीं मानते हुए आपत्ति खारिज की। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।